न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 61/2023 बउनवानी धनलक्ष्मी उर्फ सुनीता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला निर्वा.अधि.स0मा0 पत्नि श्री कमल किशोर उर्फ कमलेश मथुरिया, नि. एफ.22,किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर

GCMS No-2023/130

तारीख हुकुम	हुकुम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.11.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.9.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव निर्वाचन विभाग जयपुर का डी.ओ. पत्र कमांक अ.शा.टी.पत्रांक 9(3)(3)निर्वा./2019/3064 दिनांक 18.7.2023 जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के नाम से जारी किये जाने पर श्रीमान के कार्यालय को जारी दिशा निर्देश दिनांक 18.7.2023 मे वर्णित श्रीमति धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया पत्नि कमल किशोर उर्फ कमलेश प्लाट संख्या 75 , रामलीला मैदान खण्डार प्रकरण में वर्तमान स्टेटस क्या है? श्रीमति धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया पत्नि कमल किशोर उर्फ कमलेश , प्लाट संख्या 75, रामलीला मैदान वर्ष 2001 एवं 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध करवाये जाने मे कोई व्यवहारिक कठिनाई है की सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/चुनाव/सूकाअ/2023/7383 दिनांक 07.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2023 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उक्त जवाब नोटिस के पृष्ठांकन कमांक 7384 से भिजवायी जा चुकी है। अर्थात चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.9.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी बिन्दुवार सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पृष्ठांकन पत्रांक 7384 दिनांक 7.11.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी/वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को चाही गयी सूचना के संबंध में बिन्दुवार [illegible]स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जा[illegible]ावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश [illegible] ओला)
जिला [illegible]टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner